(37)

न्यायालय मे श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

अपील- 4260/2018/उमरिया/भू.रा.

ओमप्रकाश पिता स्व0 परमानंद दासवानी, उम्रकरीब 46 साल, निवासी गांधी चौक उमरिया जिला उमरिया(म0प्र0) .....अपीलार्थी / आवेदक

बनाम

शासन म0प्र0 जरिये नजूल उमरिया ....उत्तरदाता

श्री राजेश जैन द्वारा आज 9-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-7-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 9.7.18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

अभ्यावेदन / द्वितीय अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय कमिश्नर शहडोल संभाग, शहडोल जरिये 12 / बी-121 / 2011-12 आदेश दिनांक 11 / 6 / 2018, एवं कलेक्टर उमरिया, जिला उमरिया जरिये वंटन लीज प्रकरण कमांक 1156 / अ20(1) / 1980-81 आदेश दिनांक 24 / 8 / 12,

मान्यवर,

अपीलार्थी / आवेदक निम्न विनय करता है--

संक्षिप्त तथ्य

यह कि राजस्व ग्राम छटनकैम्प प0ह0 उमरिया तहसील बांधवगढ जिला उमरिया के आराजी खसरा नम्बर 1599 / 1 रकवा 0.876हे0 के अंश रकवा 10 / 16 अर्थात 160 वर्गफिट जो भू मापक द्वारा नजूल सर्वे सीट के एस0ई0 3 / 2अ गांधी चौक भूखण्ड क0 52 / 2 के कब्जेदार अपीलार्थी के पिता परमानद पिता टेकचंद सिंधी के नाम पर भू खण्डक प्रतिवेदन सहायक भू मापन अधिकारी शहडोल को प्रस्तुत किया गया । भू मापक के भू खण्डक प्रतिवेदन पर सहायक भू मापन अधिकारी शहडोल के आदेश पत्रिका दिनांक 3 / 7 / 79 के द्वारा इश्तहार का प्रकाशन किया गया था । तत्कालीन राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन अनुसार भूमि पर काबिज जो पूर्व ख0नं0 1599 / 1 शासकीय भूमि का अंश है, अतः उक्त प्लाट का प्रीमियम 152.10रूपये रेंट 45.20रूप्या वार्षिक पर अस्थायी लीज दिया जाना प्रस्तावित किया गया । तत्कालीन कलेक्टर महोदय नजूल शहडोल, तहसीलदार बांधवगढ के प्रकरण कमांक 55 / अ20 / 79-80 मे दिये प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर महोदय

महाधिवक्ता, ग्वालियर ... 01 से ... दिनांक 9/7/18 हस्ताक्षर व नाम

01 से 7 पेज

ओमप्रकाश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक अपील–4260/2018/उमरिया/भू.रा.

ओमप्रकाश [redacted] विरूद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–09–18	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में दिनांक 05.09.2018 को अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन व शासकीय अभिभाषक श्री अजय निरंकारी को ग्राह्यता के प्रश्न पर सुना गया । 2/ अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्र0क्र0 12/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2018 एवं कलेक्टर उमरिया, जिला–उमरिया जरिये बंटन लीज प्रकरण क्रमांक 1156/अ–20(1)/1980–81 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2012 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ अपीलार्थी अभिभाषक ने अपील मैमों में उठाये मुद्दों को ही अपने तर्कों में दोहराया है। अपीलांट अभिभाषक के द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के प्रासंगिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की है। 4/ मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों की प्रतियों व कलेक्टर उमरिया, कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल के आदेशों दिनांक 24.08.2012 एवं 11.06.2018 क्रमशः का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश दिनांक 24.08.2012 के अंतिम पैरा में निम्नानुसार टीप अंकित की है– "राजस्व निरीक्षक नजूल ने अपने स्थल परीक्षण प्रतिवेदन	

20/9/18

1/3

दिनांक 17.08.2012 में लेख किया है कि प्रश्नाधीन भूमि सार्वजनिक निस्तार प्रयोजन तथा सड़क से लगी होने से नाली निर्माण एवं यातायात बाधित होने की सम्भावना है । अतएव स्थाई लीज पर दिया जाना उचित नहीं है। मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के परिपत्र दिनांक 22.10.94 एवं बन्दोबस्त आयुक्त के ज्ञाप दिनांक 15 जनवरी 1969 के परिप्रेक्ष्य में यातायात एवं जन सुविधा में बाधक होने व पूर्व से ही अतिक्रामक होने के कारण आवेदन निरस्त किया जाता है। सम्बधित सूचित होकर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जाये।" शासकीय भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में कलेक्टर की अनुशंसा आवश्यक होती है।

5/ आयुक्त शहडोल संभाग के द्वारा उभयपक्षों के अभिभषकों को सुनने के उपरांत अपने आदेश दिनांक 11.06.2018 के पैरा 5 में निम्न टीप अंकित की है–

" आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का परिशीलन किया । प्रश्नाधीन भूमि यातायात एवं जन सुविधा में बाधक होने से प्रश्नाधीन भूमि स्थायी लीज पर दिया जाना उचित न होने से निरस्त किया है जो उचित एवं विधिवसंगत होने से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक का अभ्यावेदन विधिसंगत न होने से निरस्त किया जाता है। "

6/ मेरे द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 17.09.2003 का भी अवलोकन किया है, जिसमें भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कलेक्टर को कोई निर्देश नहीं दिये गये है। अपीलांट के द्वारा अतिक्रामक को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में शासन के कोई निर्देश प्रस्तुत नहीं किये है। प्रश्नाधीन भूमि यातायात व जन सुविधा में बाधक होने के

कारण कलेक्टर उमरिया के द्वारा भूमि आवंटन आवेदन को निरस्त किया है । आयुक्त शहडोल ने भी अपने आदेश दिनांक 11.06.2018 में कलेक्टर उमरिया के आदेश दिनांक 24.08.2012 का पूर्ण परिशीलन करने के पश्चात् उचित पाया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से अपील अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड।

20.9.18

(आर.के. जैन)
सदस्य

3/3